न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 110/2013

पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी
RAS

1 मनोहर लाल पुत्र हीरालाल उम्र 60 साल जाति सोनी निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 पुरूषोतम पुत्र मोहनलाल।
2 सरोज पुत्री मोहनलाल पत्नी रामोतार।
3 आदित्य पुत्र नरोतम समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़।
5 जिला कलेक्टर झुंझुनू।
6 मूलाराम पुत्र तुलसाराम।
7 जवाहराराम पुत्र तुलसाराम समस्त जाति जाट निवासीगण बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट
विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 19.11.2012
मुकदमा संख्या 68/2006 बइजलास उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी (झुन्झुनू)

उपस्थित

1. श्री विजयपाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमित कुमार अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 06.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 68/2006 निर्णय दिनांक 19.11.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि भूमि पुराने खसरा नम्बर 258 नये खसरा नम्बर 252 रकबा 3.30 हैक्टेयर वाके ग्राम बुगाला की सरहद में स्थित है जिसे दावे में आगे वाद ग्रस्त जमीन के नाम से सम्बोधित किया गया है। पुराने खसरा नम्बर 258 की जमीन 35 बीघा कच्ची थी जो 15 बीघा 2 बिस्वा पक्की है। वादीगण का पिता और दादा जागीरदारों के राज में जागीरदारों की सेवा करते थे और जागीरदारों की तरफ से लगान वसूली आदि में मदद करके ठिकाने वालो को लगान इक्कठा करवाने में और उस वक्त की व्यवस्था बनाने में मदद करते थे, जिससे खुश होकर तत्कालीन ठिकानों से मिति फाल्गुन शुद्वि सात संवत 1992 को वादीगण के पिता तुलसाराम पुत्र सुरजाराम के बक्शीश में दी गई थी जिसको वादीगण का पिता उसके पहले से ही काश्त करता था और काबिज था पुराने खसरा नम्बर 258 की जमीन में से 6 बीघा पक्की जमीन वादीगण ने संतकुमार, कन्हैयालाल, मनोहरलाल, रामावतार, सांवरमल पुत्र हिरालाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सैनी निवासी बुगाला को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेच दी। जिसका राजस्व रिकार्ड सन्तकुमार वगैरह के नाम से बना हुआ है तथा उन्ही का कब्जा है। जो सही है शेष जमीन जो पुराने खसरा नम्बर 258 की 9 बीघा 2 बिस्वा पक्की जमीन को वादीगण काश्त करते है, काबिज है, तथा यह जमीन 9 बीघा 2 बिस्वा है जिसके नये खसरा नम्बर 252 रकबा 2.30 हैक्टेयर ग्राम बुगाला बने है। जिसका स्वामीत्व तत्कालीन ठिकानों द्वारा वादीगण वादीगण के पिता को दिया गया था। इस तरह वादीगण को खसरा नम्बर 252 की जमीन तत्कालीन ठिकाने से मिली हुई है जिस पर वादीगण का हक हकूक है। कानूनन वादीगण खसरा नम्बर 252 रकबा 2. 30 हैक्टेयर जमीन के खातेदार काश्तकार है, काश्त करते है काबिज है। वादग्रस्त जमीन का राजस्व रिकार्ड मोहनलाल पुत्र शिवदत, कस्टोडियन विभाग के नाम से बना हुआ है जो कि गलत है जबकि इस जमीन का राजस्व रिकार्ड वादीगण के नाम होना चाहिए था जो प्रतिवादी के पिता मोहनलाल की गलत कार्यवाही से नही हुआ। इसलिए वादीगण अपने हक हकूक की जमीन का राजस्व रिकार्ड अपने नाम करवाने हेतु यह दावा घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड का पेश कर रहे है मोहनलाल का वादग्रस्त जमीन से कोई सरोकार नही था किसी तरह से उसका कोई हक हकूक नही बनता था। लेकिन वादीगण के गरीब होने और अशिक्षित तथा प्रभावहीन होने के कारण वादीगण की खातेदारी की जमीन हड़पने का पड़यन्त्र रचकर गलत राजस्व रिकार्ड वादग्रस्त जमीन का बना लिया। प्रतिवादीगण का पिता और दादा मोहनलाल प्रभावशाली व्यक्ति था पढ़ा लिखा था अपने समय के बहुत हैसियत वाला व्यक्ति था। जिसने अपने प्रभाव का दुरूपयोग करके पड़यन्त्र पूर्वक गलत तथ्य पेश करके वादगस्त जमीन का राजस्व रिकार्ड अपने नाम से गलत रूप से दर्ज करवा लिया जिससे दुरूस्ती करवाया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रतिवादीगण गलत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

राजस्व रिकार्ड की आड़ में वादीगण को वाद ग्रस्त जमीन से नाजायज रूप से वंचित कर देगें। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादीगण को वादग्रस्त जमीन में काश्त करने, काबिज रहने में किसी तरह की दखलन्दाजी पैदा नही करें। वादग्रस्त जमीन को वादीगण का पिता काश्त करता था, काबिज था तथा तत्कालीन ठिकाने द्वारा वादगस्त जमीन का पट्टा वादीगण के पिता को दिया गया था जिसके आधार पर वादीगण वादग्रस्त जमीन के स्वामी कानूनन रहे है पट्टे में वादग्रस्त जमीन की चतुर्थसीमा आदि बाकायदा बतायी गयी है पट्टा वादीगण के पास मौजूद है। वादीगण के पिता ने वादग्रस्त जमीन की रहम बक्स पुत्र हुसैन बक्स मनियार को काश्त करने हेतु आधी बंटाई पर बतायी थी। उसके पश्चात रहम बक्स पाकिस्तान चला गया तथा वादग्रस्त जमीन वादीगण के पिता को वापिस सम्भालकर गया था। इसके पश्चात मोहनलाल ने वादग्रस्त जमीन को वादीगण के पिता की गरीब स्थिति के कारण बदनियती बनाकर गलत तथ्यों के आधार पर अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में नाजायज रूप से मिलीभगत करके दर्ज करवायी जिसका मोहनलाल को कोई अधिकार प्राप्त नही था तथा इस तरह षड़यन्त्र पूर्वक और धोखादेही से गलत रूप से वादीगण के पूर्वजों की हक हकूक की जमीन अपने नाम करवाने का कानूनन रूप से कोई अधिकार नही होने से तथा कानून सम्मत नही होने से कानून की नजर में शून्य है जिसे दुरूस्ती करवाया जाना निहायत आवश्यक है। अत वाद वादीगण पेशकर निवेदन है कि वादीगण को खसरा नम्बर 252 रकबा 2.30 हैक्टेयर ग्राम बुगाला के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे। राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर वादीगण के नाम दर्ज किया जावें। कि जमीन खसरा नम्बर 252 ग्राम बुगाला को वादीगण द्वारा काश्त करने, काबिज रहने, उपयोग उपभोग करने में न तो स्वयं किसी तरह से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

व्यवधान पैदा करें और न ही अन्य किसी से करवाये। अन्य सिद्वि जो वादीगण के हक में हो चाही जाने से रह गयी हो वह भी दिलायी जावें। वादग्रस्त जमीन में प्रतिवादीगण किसी तरह का पुख्ता या खाम निर्माण नही करें तथा वादग्रस्त जमीन में से पेड़ नही काटे, अगर तादोराने दावा प्रतिवादीगण वादग्रस्त जमीन पर कब्जा जबरदस्ती कर ले तो कब्जा वादीगण को दिलाया जावें। वादीगण का वाद अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.03.2004को मुताबिक वाद प्रमाणित नही होने के कारण दस्तावेजात के अभाव में खारिज किया गया तथा इस निर्णय के विरूद्व वादीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुंझुनू में अपील संख्या 87/2004 दायर करने पर माननीय न्यायालय द्वारा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.03.2004 को अपास्त किया गया तथा पत्रावली रिमाण्ड करते हुये प्रकरण में उभयपक्षों को पुन सुनकर साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर देकर नियमानुसार पुन निर्णय पारित करने बाबत आदेशित किया गया। मुताबिक माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में पत्रावली पुन दर्ज पंजिका की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। आदेशिका निर्णय दिनांक 06.10.2010 में मनोहरलाल पुत्र हीरालाल सोनी निवासी बुगाला की और से आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मनोहरलाल पुत्र हीरालाल सोनी को वादी नम्बर 3 संस्थापित किया गया तथा इनकी और से भी श्री हरलाल सैनी एडवोकेट का वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 की और से श्री चन्द्रकांत एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया प्रतिवादी नम्बर 4व 5 की और से श्री आनन्दीलाल सैनी को अभिभाषक नियुक्त करने पर इनकी और से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 की और जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करना चाहने पर प्रतिवादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

नम्बर 1 लगायत 3 का जवाब दावा बंद किया गया। प्रतिवादी नम्बर 4 व 5 की और से जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वादीगण अस्वीकार किया गया तथा वर्णित किया गया कि वादीगण का कथन वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता व दादा को जागीरदारों के राज से सेवा के रूप में मिली थी गलत है, वादीगण प्रश्नगत भूमि के स्वामीत्व बाबत जो पट्टे प्रस्तुत किये गये है के सम्बंध में अंकित किया गया कि जागीरदारी प्रथा समाप्ति पर सरकार द्वारा जागीर कलक्टर के पद स्वीकृत किये गये थे, जागीरदारों द्वारा जारी किये गये उन्ही पट्टों को मान्यता दी गई जो तत्कालीन जागीर कलक्टर द्वारा प्रमाणित है। प्रस्तुत पट्टों में इस प्रकार का कोई अंकन नही होने से उक्त पट्टों को स्वामीत्व का अधिकार पत्र नही माना जा सकता है। वादग्रस्त भूमि किसी के खातेदारी की न होकर कस्टोडियन की रही है। पूर्व के पाकिस्तान चले जाने के वाद यह भूमि रिकार्ड के कस्टोडियन दर्ज हो गई जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2067–2070 मे भी उक्त भूमि सिवायचक राजस्व विभाग पुनर्वास विभाग के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि पर कानूनी रूप से किसी का अधिकार या स्वामित्व नही माना जा सकता है। वादपत्र की धारा 9 भी अस्वीकार कियाजाकर वर्णित किया गया कि भूमि खसरा नम्बर 252 रकबा 2.30 हैक्टेयर पूर्व से ही कस्टोडियन की भूमि चली आ रही है तथा वर्तमान में भी प्रश्नगत भूमि सिवायचक राजस्व विभाग (पुनर्वास विभाग) के नाम दर्ज रिकार्ड हो चुकी है तथा भूमि का सीधा राज्य सरकार का हित निहित है। अत वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दावा आधारहीन व सत्यता से परे होने पर खारिज होने योग्य है, तथा दावा खारिज फरमाया जावे। विचारण न्यायालय ने प्रकरण में 6 तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो ही उनकी बहस है अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के विचाराधीन निर्णय में विवेचित तथ्य ही उनकी बहस है निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवायचक राजस्व विभाग पुनर्वास विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि कस्टोडियन की है विधि अनुसार कस्टोडियन की भूमि होने के कारण कस्टोडियन विभाग एवं भारत सरकार को पक्षकार संयोजित किये बिना किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा उचित नही है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर